



राजस्थान सरकार



कृषि आयुक्तालय, पंत कृषि भवन, जयपुर, राजस्थान,

क्रमांक-प.4 (IV) यंत्र/2023-24/713-922

दिनांक: 25.05.2023

समस्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी,

जिला परिषद्।

विषय :- कृषि यंत्र अनुदान वितरण कार्यक्रम वर्ष 2023-24 के लिए सामान्य दिशा-निर्देश।

बजट घोषणा वर्ष 2023-24 की अनुपालना में राजस्थान कृषि तकनीकी मिशन (मिशन-10) के तहत कृषि यंत्रीकरण को बढ़ावा देने हेतु सब मिशन ऑन एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना तथा मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना के अन्तर्गत एक लाख किसानों को कृषि यंत्र क्रय करने पर अनुदान दिया जाना है। इसी मिशन के तहत 50 हजार पशुपालक किसानों को अनुदानित दर पर चाफ कटर यंत्र उपलब्ध कराये जाने हैं। वित्त एवं विनियोग विधेयक चर्चा के दौरान कृषि एवं सम्बद्ध क्षेत्र की घोषणा वर्ष 2023-24 के बिन्दु संख्या 61 के अन्तर्गत 10 हजार किसानों को उठी हुई क्यारी बनाने हेतु Ridge Bed Planter यंत्र भी अनुदानित दर पर उपलब्ध कराये जाने हैं। इस हेतु कृषि यंत्र अनुदान वितरण कार्यक्रम वर्ष 2023-24 के लिए सामान्य दिशा निर्देश निम्नानुसार होंगे :-

1. अनुदान के लिए कृषक पात्रता :-

- 1.1 कृषक के नाम पर कृषि योग्य भूमि का स्वामित्व होना चाहिये। ऐसे समस्त कृषक कृषि यंत्रों पर अनुदान हेतु पात्र होंगे।
- 1.2 विभागीय योजनाओं के अन्तर्गत अनुदान हेतु कृषकों को राजस्व रिकार्ड के आधार पर भूमि का स्वामित्व रखने, सामान्य या विशेष आवंटी होने या गैर खातेदार होने पर अनुदान हेतु पात्र माना जाता है। इसी प्रकार कृषक के स्वयं के नाम से भू-स्वामित्व नहीं होने की स्थिति में (कृषक के पिता के जीवित होने या मृत्यु पश्चात् नामान्तरण के अभाव में) यदि आवेदक कृषक द्वारा स्वयं के पक्ष में भू-स्वामित्व में नोशनल शेयर धारक का प्रमाण पत्र राजस्व/हल्का पटवारी से प्राप्त कर आवेदन के साथ प्रस्तुत किया जाता है तो ऐसे कृषक भी अनुदान हेतु पात्र माने जायेंगे।
- 1.3 एक कृषक को विभाग की किसी भी योजना में एक प्रकार के कृषि यंत्र (उदाहरणार्थ-सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल, रोटोवेटर, थ्रेसर इत्यादि) पर तीन वर्ष की कालावधि में केवल एक बार ही अनुदान देय होगा। एक कृषक को एक वित्तीय वर्ष में केवल एक ही कृषि यंत्र पर किसी भी एक योजना में अनुदान दिया जा सकेगा। पोर्टल पर पूर्व में किसी एक आवेदक द्वारा एक से अधिक यंत्रों के लिए किये गये आवेदनों में वरीयता क्रम में सबसे उपर आने वाले यंत्र पर ही अनुदान देय होगा।
- 1.4 ट्रेक्टर चलित कृषि यंत्र क्रय करने के लिए आवेदक के स्वयं के नाम से ट्रेक्टर का रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है। आवेदक के स्वयं के नाम से न होकर परिवार के अन्य सदस्य के नाम से ट्रेक्टर का रजिस्ट्रेशन होने की स्थिति में रजिस्ट्रेशन धारक का इस आशय का शपथपत्र "आवेदक मेरा पुत्र/अविवाहित पुत्री/पति/पत्नि है तथा यदि मेरे नाम से रजिस्टर्ड ट्रेक्टर पर उन्हें कृषि यंत्र पर अनुदान दिया जाता है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है, हम परिवार में इसी ट्रेक्टर से सम्मिलित रूप से खेती करते हैं" संलग्न करना अनिवार्य होगा। ऐसे प्रकरणों में एक जनाधार नम्बर से एक ही आवेदन स्वीकार्य होगा।

2 अनुदान हेतु आवश्यक दस्तावेज:-

- 2.1 ऑन-लाईन किये जाने वाले आवेदन पत्र के साथ कृषक को जमाबन्दी की नकल (छः माह से पुरानी न हो)/राजस्व विभाग द्वारा प्रदत्त स्वामित्व की पासबुक की प्रमाणित छाया प्रति संलग्न करनी होगी।
- 2.2 आवेदन हेतु जन आधार कार्ड संख्या देना अनिवार्य होगा।
- 2.3 जिन कृषकों का जन आधार पर लघु एवं सीमान्त कृषक श्रेणी में पंजीयन है, उनको ही लघु एवं सीमान्त कृषक मानते हुए अनुदान हेतु पात्र समझा जावें। यदि जनाधार में लघु/सीमान्त कृषक के पंजीयन की सुविधा नहीं हो तो ऐसी स्थिति में कृषकों को आवेदन के समय सक्षम स्तर से जारी लघु/सीमान्त कृषक का प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा।
- 2.4 ट्रेक्टर चलित कृषि यंत्र क्रय करने के लिए ट्रेक्टर की रजिस्ट्रेशन की प्रति एवं बिन्दु संख्या 1.4 के अनुसार आवश्यक होने पर शपथपत्र संलग्न करना होगा।
- 2.5 स्वयं के नाम से भूमि का स्वामित्व नहीं होने पर बिन्दु संख्या 1.2 के अनुसार नोशनल शेयर धारक का प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा।
- 2.6 कृषक को क्रय किये जाने वाले कृषि यंत्र का कोटेशन संलग्न करना अनिवार्य होगा जिसमें यंत्र की श्रेणी/बी.एच.पी., इत्यादि का स्पष्ट उल्लेख हो ताकि डॉक्यूमेंट स्कूटिनी के समय ही आवश्यक होने पर पत्रावली को रिवर्ट/रिजेक्ट किया जा सके।

3 अनुदान हेतु कृषि यंत्रों का विवरण एवं अनुदान की सीमा:-

- 3.1 मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना एवं राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अन्तर्गत भी कृषि यंत्रों पर भारत सरकार की सब मिशन ऑन एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन योजना के प्रावधानों के अनुरूप अनुदान देय होगा। कृषि संकियाओं एवं यंत्रों की श्रेणी (युक्तिसंगत बी.एच.पी.) अनुसार देय अनुदान का विवरण परिशिष्ट-1 पर उपलब्ध है।
- 3.2 कृषकों को चिन्हित/अनुमोदित कृषि यंत्रों पर भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुरूप निर्धारित सीमा तक अनुदान दिया जा सकता है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, लघु, सीमान्त एवं महिला कृषकों के लिये कृषि यंत्र की लागत राशि का अधिकतम 50 प्रतिशत तक एवं अन्य श्रेणी के कृषकों के लिये कृषि यंत्र की लागत राशि का अधिकतम 40 प्रतिशत तक अनुदान दिया जायेगा।
- 3.3 हस्त/पावर चालित चाफ कटर पर समस्त श्रेणी के पशुपालक किसानों को निम्नानुसार अनुदान देय होगा।

क्र. सं.	यंत्र का नाम	प्रचलित कीमत/लागत प्रति यंत्र रु.	सामान्य श्रेणी के कृषकों हेतु यंत्र की लागत का 40 प्रतिशत तक अथवा अधिकतम अनुदान राशि रु.	लघु, सीमान्त, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व महिला कृषकों हेतु यंत्र की लागत का 50 प्रतिशत तक अथवा अधिकतम अनुदान राशि रु.
1	चाफ कटर (हस्त चलित)	10,000	4,000	5000
2	चाफ कटर (पावर चालित)	20,000	8,000	10,000

- 3.4 रिज बेड प्लाण्टर कृषि यंत्र पर अनुदान का पैटर्न निम्नानुसार होगा-



क्र. सं.	यंत्र का नाम	प्रचलित कीमत/ लागत प्रति यंत्र रू.	सामान्य श्रेणी के कृषकों हेतु यंत्र की लागत का 50 प्रतिशत तक अथवा अधिकतम अनुदान राशि रू.	लघु, सीमान्त, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व महिला कृषकों हेतु यंत्र की लागत का 75 प्रतिशत तक अथवा अधिकतम अनुदान राशि रू.
1	रिज बेड प्लाण्टर (लाईट वेट)	35,000	17,500	26,250
2	रिज बेड प्लाण्टर (हैवी वेट)	45000	22,500	33,750

4 आवेदन प्रक्रिया :-

- 4.1 कृषक नजदीकी ई-मित्र कियोस्क पर जाकर अथवा स्वयं के स्तर पर राज किसान साथी पोर्टल/राज किसान सुविधा मोबाईल एप्प पर जनाधार नम्बर के माध्यम से आवेदन कर सकेगा।
- 4.2 आवेदन पत्र को ई-प्रपत्र (e-Form) में भरा जावेगा एवं आवश्यक दस्तावेज को स्कैन कर अपलोड (scan & upload) करने होंगे।
- 4.3 क्रय किये जाने वाले कृषि यंत्र का नाम एवं उसकी बी.एच.पी. श्रेणी का पोर्टल पर चयन करना होगा।
- 4.4 आवेदक को आवेदन पत्र की प्राप्ति रसीद ऑनलाईन प्राप्त होगी एवं आधार में पंजीकृत मोबाईल पर एसएमएस प्राप्त होगा।
- 4.5 आवेदन पत्र की Online Scrutinity के समय आवेदन में कोई कमी पायी जाने पर आवेदक को आधार से जुड़े मोबाईल नम्बर पर इस बाबत एसएमएस भेजा जाएगा। आवेदक को 15 दिवस के अन्दर राज किसान साथी पोर्टल पर कमी की पूर्ति करनी होगी अन्यथा 15 दिवस के बाद आवेदन स्वतः ही निरस्त हो जाएगा।
- 4.6 आवेदनकर्ता आवेदन के पश्चात् राज किसान सुविधा मोबाईल एप्प अथवा राज किसान साथी पोर्टल पर आवेदन की स्थिति/प्रगति की जानकारी ऑनलाईन प्राप्त कर सकते हैं।
- 4.7 ऑफ लाईन आवेदन पत्र नहीं लिये जावेंगे।

5 कृषि यंत्रों का क्रय/आपूर्ति स्रोत :

- 5.1 राज्य के किसी भी जिले में पंजीकृत निर्माता/विक्रेता, जिनकी सूची राजकिसान साथी पोर्टल/राजकिसान सुविधा मोबाईल एप्प पर प्रदर्शित हो, से कृषि यंत्र क्रय करने पर ही अनुदान देय होगा।
- 5.2 कृषकों को कृषि यंत्रों पर अनुदान उनकी कुल लागत (मशीन/उपकरण की कीमत समस्त कर/लागू जी.एस.टी. सहित) पर देय होगा।
- 5.3 राशि रू. 1.00 लाख से अधिक के सेल्फ प्रोपेल्ड कृषि यंत्रों यथा पावर टिलर, क्रॉप रीपर/रीपर कम बाईण्डर इत्यादि पर एप्प आधारित आर्टिफिशियल इण्टेलीजेन्स पावर्ड टेलीमेटिक्स किट का लगा होना अनिवार्य होगा।

(ब) विभागीय प्रक्रिया :

6 आवेदन पत्रों का निस्तारण :-

- 6.1 आवेदन पत्र प्राप्त होने के पश्चात् संबंधित कार्यालयों के अधिकारियों द्वारा ऑनलाईन स्कूटिनी की कार्यवाही की जायेगी। आवेदन की गई पत्रावली की ऑनलाईन स्कूटिनी के समय ये सुनिश्चित किया जावे कि -
 - 6.1.1 आवेदक द्वारा गत तीन वर्षों में आवेदित कृषि यंत्र पर अनुदान नहीं लिया हो।

- 6.1.2 आवेदित कृषि यंत्र हेतु कोटेशन के अनुसार यंत्र के प्रकार (हस्तचलित/ट्रेक्टर चलित/पावर चलित/स्वचलित) का सही चयन किया गया है अथवा नहीं।
- 6.1.3 ट्रेक्टर की बी.एच.पी. का सही चयन किया गया है अथवा नहीं।
- 6.1.4 आवेदित श्रेणी अनुसार लघु/सीमान्त श्रेणी के प्रमाणपत्र संलग्न किये गये हैं अथवा नहीं।
- 6.1.5 पोर्टल पर पूर्व में किसी एक आवेदक द्वारा एक से अधिक यंत्रों के लिए किये गये आवेदनों में से वरीयता क्रम में सबसे उपर आने वाले यंत्र की ही डाक्यूमेण्ट स्कूटिनी की जावे। अन्य आवेदन रिजेक्ट किये जायेंगे।

आवेदनों में कमी पाये जाने पर अपूर्ण आवेदनों को बैंक टू सिटीजन किया जावे ताकि वित्तीय स्वीकृति के समय संशोधित प्रशासनिक स्वीकृति जारी नहीं करनी पड़े।

- 6.2 सामान्यतया जिलों में श्रेणीवार "पहले आओ-पहले पाओ" के आधार पर ही ऑनलाईन वरीयता क्रम से आवेदनों का निस्तारण किया जायेगा, लेकिन जिलों में आवेदन श्रेणीवार लक्ष्यों से डेढ गुना से अधिक प्राप्त होते हैं तो रेण्डमाईजेशन प्रक्रिया अपनाई जायेगी।
- 6.3 वर्ष 2022-23 में 150 प्रतिशत से अधिक आवेदन वाले जिलों/श्रेणी में रेण्डमाईजेशन किया गया था। वर्ष 2023-24 में उक्त में से स्वीकृति हेतु शेष रहे रेण्डमाईज्ड आवेदनों का वर्ष 2022-23 की वरीयता अनुसार निस्तारण किया जाएगा।
- 6.4 तत्पश्चात प्राप्त नवीन आवेदन यदि शेष रहे लक्ष्यों के श्रेणीवार डेढ गुणा से अधिक हो तो उन आवेदनों का रेण्डमाईजेशन कर वरीयता निर्धारण कर 2022-23 के प्रार्थना पत्रों के निस्तारण उपरांत निस्तारण किया जाएगा।

7 प्रशासनिक स्वीकृति :-

- 7.1 कृषि यंत्रों के आवेदनों के निस्तारण हेतु प्री-वेरिफिकेशन अनिवार्य नहीं है। संबंधित जिले के सहायक निदेशक, कृषि (विस्तार) कार्यालय द्वारा बिन्दु संख्या 6.1 के अनुसार डॉक्यूमेण्ट स्कूटिनी उपरान्त कृषि यंत्रों के वित्तीय लक्ष्यों की सीमा में भौतिक लक्ष्य होने की स्थिति में पात्र कृषक की 15 कार्य दिवसों के भीतर ऑनलाईन प्रशासनिक स्वीकृति जारी की जायेगी। इस प्रशासनिक स्वीकृति की दिनांक से 45 दिवस के भीतर कृषक पंजीकृत आपूर्ति स्रोत से मोल भाव कर पूरी कीमत चुका कर कृषि यंत्र क्रय करने हेतु स्वतंत्र होंगे।
- 7.2 प्रशासनिक स्वीकृति जारी होने के पश्चात् क्रय किये गये कृषि यंत्रों पर ही अनुदान देय होगा। प्रशासनिक स्वीकृति जारी होने के दिनांक से पहले क्रय किये गये कृषि यंत्रों पर कोई अनुदान देय नहीं होगा।

8 भौतिक सत्यापन :-

- 8.1 संबंधित कृषक द्वारा प्रशासनिक स्वीकृति की दिनांक से 45 दिवस के भीतर कृषि यंत्र क्रय उपरान्त सूचना राजकिसान सुविधा मोबाईल एप्प पर दर्ज कर सकेंगे अथवा संबंधित विभागीय कार्मिकों/संबंधित कार्यालय में व्यक्तिगत रूप से लिखित में दे सकते हैं जिसकी प्रविष्टि विभागीय कार्मिकों द्वारा तुरन्त ही पोर्टल पर की जायेगी।
- 8.2 कृषक द्वारा कृषि यंत्र क्रय किये जाने की सूचना प्राप्त होने के 15 दिवस के भीतर राजकिसान साथी पोर्टल द्वारा आवंटित विभागीय अधिकारी/कार्मिक द्वारा भौतिक सत्यापन किया जायेगा। भौतिक सत्यापन के समय कृषक की उपस्थिति अनिवार्य होगी।
- 8.3 भौतिक सत्यापन के समय कृषि यंत्र का नाम, उसकी बी.एच.पी., विक्रेता फर्म का नाम आदि अंकित किया जाये। राशि रु. 1.00 लाख से अधिक के सभी यंत्रों की जियोटैगिंग किया जाना अनिवार्य है। कृषि यंत्र क्रय का जी.एस.टी. बिल अनिवार्य होगा।

8.4 भौतिक सत्यापन का वास्तविक उद्देश्य यह सत्यापित करना है कि लाभार्थी द्वारा वास्तव में कृषि यंत्र का क्रय कर लिया गया है तथा वह अनुदान का पात्र है। अतः भौतिक सत्यापन उद्देश्य परक होना चाहिए न कि प्रक्रियात्मक। चूंकि केवल एक ही कार्मिक/अधिकारी द्वारा भौतिक सत्यापन किया जायेगा अतः इसे पूर्ण उत्तरदायित्व से किया जाना अपेक्षित है।

8.5 यदि भौतिक सत्यापन के समय क्रय किया गया कृषि यंत्र विभागीय मापदण्ड/दिशा निर्देशों के अनुरूप नहीं है तो इसकी सूचना आवेदनकर्ता कृषक को एसएमएस के द्वारा मय कारण सहित अवगत कराई जावेगी या राज किसान सुविधा ऐप में भी कृषक देख सकेंगे।

9 वित्तीय स्वीकृति :-


9.1 प्रशासनिक स्वीकृति जारी करने एवं कृषक द्वारा कृषि यंत्र क्रय करने पर भौतिक सत्यापन उपरान्त संबंधित संयुक्त निदेशक कृषि (वि०) द्वारा आवेदन की दिनांक से अधिकतम तीन माह में बजट उपलब्धता अनुसार ऑनलाईन वित्तीय स्वीकृति जारी की जायेगी।

9.2 वर्ष 2022-23 की लम्बित देनदारियों का निस्तारण प्राथमिकता से किया जायेगा।

9.3 राजकिसान पोर्टल पर मॉड्यूल विकसित होने तक जिला कार्यालयों द्वारा उनके खण्डीय अतिरिक्त निदेशक, कृषि (विस्तार/तिलहन) से ऑफलाईन स्वीकृति प्राप्त कर राशि रु. 50,000 से अधिक की ऑनलाईन वित्तीय स्वीकृतियां जारी की जा सकेंगी।

9.4 भारत सरकार के निर्देशानुसार डी.बी.टी. (डायरेक्ट बनेफिट ट्रान्सफर) योजना की अनिवार्यता को दृष्टिगत रखते हुये कृषक का मोबाईल नम्बर आधार कार्ड से जुड़ा होना आवश्यक है।

9.5 कृषक प्रशासनिक स्वीकृति जारी होने की दिनांक से 45 दिवस के भीतर कृषि यंत्र क्रय नहीं कर पाता है, क्रय किये गये यंत्र की सूचना राजकिसान साथी पोर्टल/राजकिसान सुविधा एप्प पर अथवा संबंधित विभागीय कार्मिक/संबंधित कार्यालय में लिखित में सूचित करने में असफल रहता है तो उसकी प्रशासनिक स्वीकृति स्वतः ही निरस्त मानी जाकर निचली वरीयता वाले कृषक को लाभान्वित किया जायेगा। इसके बारे में स्पष्ट निर्देश प्रशासनिक स्वीकृति में उल्लेखित होंगे।



10 अनुदान क्लेम्स का निस्तारण :

- 10.1 कृषकों को स्वीकृत अनुदान राशि का भुगतान केवल आवेदक के जनाधार से जुड़े खाते में ही देय होगा।
- 10.2 पंजीकृत निर्माताओं/विक्रेताओं को सीधे अनुदान राशि का भुगतान नहीं किया जायेगा।
- 11 एक लाख रु. से अधिक की अनुदान राशि के कृषि यंत्रों की अनुदान प्रक्रिया:- राशि रु. 1.00 लाख से कम अनुदान वाले कृषि यंत्रों के आवेदन पर विभागीय प्रक्रियानुसार कृषक द्वारा पूर्ण राशि का भुगतान कर यंत्र क्रय किये जाते हैं। क्रय किये गये यंत्र पर निर्धारित अनुदान राशि का भुगतान कृषक को डीबीटी के माध्यम से किया जाता है। एक लाख रु. से अधिक की अनुदान राशि के चयनित कृषि यंत्रों पर कृषक को स्वयं की हिस्सा राशि का ही भुगतान करना होगा। विभागीय अनुदान राशि का भुगतान ई-रूपी के माध्यम से संबंधित कृषि यंत्र विक्रेता को किया जायेगा जिसके विस्तृत दिशा निर्देश निम्नानुसार हैं :-
- कृषकों द्वारा आवश्यक दस्तावेजों सहित आवेदन, विभाग स्तर पर डॉक्यूमेंट स्कूटिनी की प्रक्रिया इत्यादि पूर्व के बिन्दु संख्या 4 एवं 6 के अनुसार की जायेगी।
 - पात्र किसान के चयनित यंत्र के आवेदन को सहायक निदेशक, कृषि (विस्तार) द्वारा संयुक्त निदेशक, कृषि (विस्तार) जिला परिषद् कार्यालय को अग्रेषित किया जायेगा।
 - संयुक्त निदेशक, कृषि (विस्तार) जिला परिषद् द्वारा आवेदक के कोटेशन तथा परिशिष्ट-1 के आधार पर कृषि यंत्र की अनुदान राशि की नियमानुसार प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी की जायेगी।
 - उक्त स्वीकृति वाले लाभार्थियों का विवरण राजकिसान साथी पोर्टल से संबंधित बैंक को साझा किया जायेगा।
 - किसान के जनाधार से लिंक मोबाईल पर जारी वित्तीय स्वीकृति की राशि का QR Code या लिंक राजकिसान साथी पोर्टल/सहभागी बैंक के माध्यम से प्रेषित किया जायेगा।
 - संबंधित लाभार्थी को क्यू.आर. कोड प्राप्त होने के 45 दिवस में रिडीम करवाकर यंत्र क्रय करना होगा। उक्त समयावधि के बाद क्यू.आर. कोड वैध नहीं होंगे।
 - किसान विभाग द्वारा जारी QR Code या लिंक को कोटेशन जारी करने वाले कृषि यंत्र विक्रेता को दिखा एवं स्कैन करा कर स्वयं की हिस्सा राशि का भुगतान कर यंत्र क्रय कर सकेंगे। कृषि यंत्र विक्रेता को भुगतान की जाने वाली अनुदान राशि ऑन होल्ड पर रहेगी।
 - कृषि यंत्र विक्रेता द्वारा एप्प के माध्यम से विक्रय किये गये यंत्र तथा लाभार्थी का फोटो मय पहचान पत्र अपलोड किया जायेगा जिससे विक्रेता द्वारा विक्रय किये गये यंत्र तथा लाभार्थी का विवरण राजकिसान पोर्टल पर उपलब्ध हो जायेगा।
 - सहायक कृषि अधिकारी एवं कृषि पर्यवेक्षक द्वारा संयुक्त रूप से मोबाईल एप्प के माध्यम से कृषि यंत्र का भौतिक सत्यापन किया जायेगा। भौतिक सत्यापन के बिन्दु संख्या 8 के अतिरिक्त कृषि यंत्र पर टेलीमेटिक्स किट लगे होने का भी भौतिक सत्यापन किया जाकर रिपोर्ट निर्धारित प्रक्रियानुसार संयुक्त निदेशक, कृषि (विस्तार) जिला परिषद् कार्यालय को अग्रेषित होगी।
 - संयुक्त निदेशक, कृषि (विस्तार) जिला परिषद् द्वारा भौतिक सत्यापन को अप्रूव करने पर वित्तीय स्वीकृति की राशि कृषि यंत्र विक्रेता के बैंक खाते में जमा (Redeem) हो जायेगी।
 - ई-रूपी के माध्यम से क्रय किये जा सकने वाले चयनित कृषि यंत्र निम्नानुसार होंगे-

क्र.सं.	कृषि यंत्र का प्रकार	कृषि यंत्र का नाम
1	पौध संरक्षण	ट्रेक्टर ऑपरेटेड स्प्रेयर (एयर कैरियर/असिस्टेड/ईलेक्ट्रोस्टेटिक)
2	स्वचालित	क्रॉप रीपर कम बाईण्डर (3 व्हील/4 व्हील)
3	ट्रेक्टर/पावर ऑपरेटेड	क्रॉप रीपर कम बाईण्डर (श्रेणी-20-35 बीएचपी एवं 35 बीएचपी से अधिक)

4	ट्रेक्टर/पावर ऑपरेटेड	बेलर (श्रेणी-20-35 बीएचपी एवं 35 बीएचपी से अधिक)
5	ट्रेक्टर/पावर ऑपरेटेड	हे रेक (35 बीएचपी से अधिक)
6	ट्रेक्टर/पावर ऑपरेटेड	लेजर लेण्ड लेवलर (35 बीएचपी से अधिक)
7	ट्रेक्टर/पावर ऑपरेटेड	मल्वर (ट्रेल्ड टाईप/कॉम्बो टाईप)(35 बीएचपी से अधिक)
8	ट्रेक्टर/पावर ऑपरेटेड	शेडर (ट्रेल्ड टाईप/कॉम्बो टाईप)(35 बीएचपी से अधिक)
9	ट्रेक्टर/पावर ऑपरेटेड	स्ट्रॉ रीपर (35 बीएचपी से अधिक)

12 कृषि यंत्र निर्माताओं/विक्रेताओं का पंजीकरण :-

राजकिसान साथी पोर्टल पर कृषि यंत्र निर्माताओं/विक्रेताओं के ऑनलाईन पंजीकरण के लिए मॉड्यूल तैयार कर लाईव कर दिया गया है। अतः कृषि यंत्र निर्माताओं/विक्रेताओं के ऑफलाईन पंजीकरण का कार्य नहीं किया जावे। जिला कार्यालयों में पूर्व में पंजीकृत तथा नवीन पंजीकरण के ईच्छुक कृषि यंत्र निर्माताओं/विक्रेताओं को राजकिसान पोर्टल पर अनिवार्य रूप से पंजीकरण ऑनलाईन ही करना होगा। पंजीकरण से संबंधित मुख्य बिन्दु निम्नानुसार होंगे:-

- 12.1 कृषि यंत्र निर्माताओं/विक्रेताओं को पोर्टल पर ऑनलाईन पंजीकरण कराना होगा। उनके पंजीकरण की वैधता अवधि पंजीकरण दिनांक से 3 वर्ष होगी।
- 12.2 पंजीकृत कृषि यंत्र निर्माता/विक्रेता द्वारा कृषि यंत्र अनुदान वितरण कार्यक्रम के अन्तर्गत कार्य करने के ईच्छुक नहीं होने के लिए संबंधित संयुक्त निदेशक, कृषि (विस्तार) जिला परिषद कार्यालय को सूचित करने पर उनका पंजीकरण निरस्त किया जा सकेगा।
- 12.3 पंजीकृत कृषि यंत्र विक्रेता द्वारा आपूर्ति किये गये कृषि यंत्रों के निम्न कोटि का पाये जाने पर संबंधित संयुक्त निदेशक, कृषि (विस्तार) जिला परिषद विक्रेता का पंजीयन निरस्त करने हेतु अधिकृत होंगे। ऐसे निरस्त किये गये पंजीकृत विक्रेता 15 दिवस के भीतर आयुक्त, कृषि को अपील कर सकेंगे। सुनवाई उपरान्त आयुक्त, कृषि का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा।
- 12.4 एक से अधिक जिलों में कृषि यंत्र विक्रय करने वाले पंजीकृत निर्माता/विक्रेता का यदि किसी एक जिले में ब्लेक लिस्टेड किये जाने के कारण पंजीयन निरस्त किया जाता है तो अन्य जिलों में भी उनके द्वारा कृषि यंत्र विक्रय कार्य नहीं किया जा सकेगा।
- 12.5 पंजीकृत कृषि यंत्र निर्माता/विक्रेता कभी भी नवीन कृषि यंत्रों को पोर्टल के माध्यम से ऑनलाईन जोड सकेंगे। ऐसे यंत्रों का संबंधित संयुक्त निदेशक, कृषि (विस्तार) जिला परिषद कार्यालय द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार परीक्षण कर अनुमोदन किया जा सकेगा।
- 12.6 पंजीकृत कृषि यंत्र निर्माता/विक्रेता कृषि यंत्रों की दरों में बढोतरी/कमी होने पर संबंधित संयुक्त निदेशक, कृषि (विस्तार) जिला परिषद कार्यालय को सूचित करते हुए पोर्टल पर दरों को परिवर्तित कर सकेंगे। ऐसे यंत्रों की दरें संबंधित संयुक्त निदेशक, कृषि (विस्तार) जिला परिषद द्वारा पोर्टल पर अप्रूव करने पर ही प्रदर्शित एवं मान्य होंगी।
- 12.7 पंजीकृत कृषि यंत्र निर्माताओं/विक्रेताओं को विभाग द्वारा जारी ई-रूपी धारक किसान को ई-रूपी की राशि को कम करते हुए शेष राशि किसान से प्राप्त कर यंत्र उपलब्ध कराना होगा। ई-रूपी की राशि विभाग द्वारा भौतिक सत्यापन उपरान्त यंत्र विक्रेता के बैंक खाते में जमा होगी।
- 12.8 वैधता अवधि समाप्त होने तथा कृषि यंत्र निर्माताओं/विक्रेताओं द्वारा पुनः पंजीकरण नहीं कराने की स्थिति में उनके रजिस्ट्रेशन संबंधी सूचना को राजकिसान पोर्टल से हटाना होगा।
- 12.9 सब मिशन ऑन एग्रीकल्चरल मैकेनाईजेशन (SMAM) योजना में कृषि यंत्रों का वर्गीकरण बी. एच.पी. के आधार पर किये जाने के कारण पंजीकरण किये जाने वाले यंत्रों के समक्ष उनकी युक्तिसंगत बी.एच.पी. एवं विक्रय दर (लागू जी.एस.टी. सहित) का उल्लेख आवश्यक रूप से करावें ताकि अनुदान वितरण निर्धारित श्रेणी के अनुसार किया जा सके।
- 12.10 कृषि यंत्रों की एम.आर.पी. प्रदर्शन हेतु भारत सरकार द्वारा जारी निम्न निर्देशों की पालना सुनिश्चित करावें-

- 12.10.1 कृषि यंत्र अनुदान वितरण कार्यक्रम अन्तर्गत अनुदान हेतु कृषि यंत्रों के पंजीयन के ईच्छुक निर्माताओं/विक्रेताओं को कृषि यंत्रों पर आवश्यक रूप से सुस्पष्ट एवं दर्शनीय स्थान पर एम.आर.पी. (अधिकतम खुदरा मूल्य) का अंकन कराना अनिवार्य होगा।
- 12.10.2 कृषि यंत्र अनुदान वितरण कार्यक्रम अन्तर्गत अनुदान हेतु कृषि यंत्रों के पंजीयन के ईच्छुक निर्माताओं/विक्रेताओं को उनकी वेबसाईट पर भी एम.आर.पी. (अधिकतम खुदरा मूल्य) को प्रदर्शित करना होगा। यह सुनिश्चित किया जावे कि वेबसाईट पर एवं कृषि यंत्रों पर दर्शाई गई एम.आर.पी. (अधिकतम खुदरा मूल्य) समान हो।
- 12.10.3 कृषि यंत्रों के निर्माताओं के डीलर्स द्वारा अपने शोरूम पर कृषि यंत्रवार एम.आर.पी. (अधिकतम खुदरा मूल्य) का प्रदर्शन अनिवार्य रूप से करना होगा। यह सुनिश्चित किया जावे कि शोरूम पर अंकित एम.आर.पी. (अधिकतम खुदरा मूल्य) यंत्रों एवं वेबसाईट पर अंकित एम.आर.पी. (अधिकतम खुदरा मूल्य) के समान हो।
- 12.10.4 एम.आर.पी. दरों को कृषि विभागीय वेबसाईट पर भी प्रदर्शित करना होगा। पंजीयन के समय दरों की तुलना जेम (GeM) पोर्टल तथा अन्य ऑनलाईन ई-मार्केट यथा अमेजन आदि से की जावे।
- 12.10.5 उपरोक्त निर्देशों की पालना नहीं करने वाले कृषि यंत्र निर्माताओं के कृषि यंत्रों का भारत सरकार प्रवर्तित योजनाओं के अन्तर्गत अनुदान पर वितरण हेतु पंजीयन नहीं किया जावे।
- 12.10.6 जिलों में पूर्व में पंजीकृत ऐसे कृषि यंत्र निर्माताओं/विक्रेताओं, जिनकी पंजीकरण अवधि वैध है, से भी उपरोक्त निर्देशों की आवश्यक रूप से पालना कराना सुनिश्चित करावे।
- 12.11 राशि रु. 50,000 एवं उससे अधिक की लागत के कृषि यंत्रों पर भारत सरकार के मान्यता प्राप्त संस्थान से जारी कॉमर्शियल टेस्ट रिपोर्ट प्रस्तुत करने पर ही अनुदान देय होगा। कॉमर्शियल टेस्ट रिपोर्ट्स के पुराने होने तथा परीक्षण संस्थान द्वारा यंत्र के विभिन्न हिस्सों में सुधार की अनुशंसा अनुसार अनुपालना रिपोर्ट नहीं होने की स्थिति में सम्बन्धित निर्माताओं/अधिकृत विक्रेताओं से इस प्रकार की कॉमर्शियल टेस्ट रिपोर्ट्स के सम्बन्ध में 50/- रु. के नॉन-ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर इस आशय का शपथ पत्र आवश्यक रूप से संलग्न करावे कि उनकी फर्म द्वारा टेस्ट रिपोर्ट में वर्णित सुधार की अनुशंसा अनुसार आवश्यक सुधार कर लिये गये हैं, यंत्र में किसी भी प्रकार की तकनीकी समस्या होने पर उनकी फर्म स्वयं जिम्मेदार होगी तथा स्वयं के खर्चे पर फर्म द्वारा कृषक के यंत्र की तकनीकी समस्या को दूर किया जावेगा। इस प्रकार के शपथ पत्र के अभाव की स्थिति में ऐसी कॉमर्शियल टेस्ट रिपोर्ट्स के कृषि यंत्रों पर अनुदान नहीं दिया जावे।
- 12.12 राशि रु. 50,000 से कम की लागत के कृषि यंत्रों को पंजीकृत कर अनुदान देने हेतु भारत सरकार के निर्देशानुसार जिला स्तर पर संयुक्त निदेशक, कृषि (वि०) जिला परिषद को निम्न बिन्दुओं की पालना के अधीन अधिकृत किया जाता है:-
- 12.12.1 राशि रु. 50,000 से कम की लागत के कृषि यंत्रों के निर्माताओं/अधिकृत विक्रेताओं द्वारा कृषि यंत्र के स्पेसिफिकेशन/गुणवत्ता/कार्यशीलता के बारे में संतोषप्रद स्व-प्रमाणीकरण प्रस्तुत करने पर ही पंजीकरण किया जायेगा।
- 12.12.2 राशि रु. 50,000 से कम की लागत के कृषि यंत्रों के अन्तर्गत लैण्ड प्रीप्रेसन/सोईंग एण्ड प्लान्टिंग/इन्टर कल्टीवेशन/हारवेस्टिंग एण्ड थ्रेसिंग/ट्रांसपोर्टेशन संक्रियाओं हेतु उपयोग में लाये जाने वाले हस्त चलित, उद्यानिकी, पशुचलित/मानव चलित/ट्रेक्टर चलित उपकरण समावेशित/कवर किये जायेंगे।
- 12.12.3 राजस्थान राज्य से बाहर के कृषि यंत्र के निर्माताओं/विक्रेताओं का रजिस्ट्रेशन किसी भी जिले में किया जा सकेगा। इस हेतु ईच्छुक निर्माता/विक्रेता को उस जिले में स्वयं के अधिकृत विक्रेता की नियुक्ति करनी होगी तथा अनुदान हेतु कृषि यंत्र का बिल राज्य/जिले में उसके अधिकृत विक्रेता के द्वारा जारी किया जायेगा।



12.12.4 समस्त संयुक्त निदेशक, कृषि (वि०) जिला परिषद रजिस्ट्रेशन के लिये आवेदन करने वाली फर्मों के द्वारा प्रदत्त दरों का विश्लेषण कर सकेंगे तथा कॉमर्शियल टेस्ट रिपोर्ट की अनिवार्यता से बचने के लिये 50,000/- से कम के बिल (वास्तविक विक्रय मूल्य से कम) अथवा अन्य जिलों में ऐसे यंत्रों की प्रचलित दरों से कम राशि के बिल प्राप्त होने पर स्वविवेक से ऐसी फर्मों के विरुद्ध कार्यवाही करते हुये पंजीकरण निरस्त कर सकेंगे।

12.12.5 "लागू जी.एस.टी. की गणना से पूर्व राशि रु. 50,000 से कम की लागत के समस्त कृषि यंत्र कॉमर्शियल टेस्ट रिपोर्ट की अनिवार्यता से मुक्त रहेंगे तथा उन्हें अनुदान हेतु पात्र माना जायेगा। ऐसे कृषि यंत्रों पर अनुदान की गणना उनकी कुल प्रभावी कीमत (मय लागू जी.एस.टी.) पर की जायेगी"।

12.13 भारत सरकार द्वारा कृषि प्रौद्योगिकी एवं अभियांत्रिकी महाविद्यालय, उदयपुर तथा स्वामी केशवानन्द राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर को राजस्थान राज्य में कृषि यंत्रों के परीक्षण हेतु अधिकृत किया गया है। अतः राज्य/जिलों के निर्माताओं को उनके द्वारा निर्मित सभी प्रकार के कृषि यंत्रों के परीक्षण हेतु निर्देशित/प्रोत्साहित किया जावे।

12.14 सम्बन्धित संयुक्त निदेशक, कृषि (वि०) जिला परिषद एवं खण्डीय सहायक कृषि अभियन्ता जिले में निर्माताओं द्वारा निर्मित उन्नत एवं गुणवत्तापूर्ण कृषि यंत्र निर्माण परिसर का औचक निरीक्षण कर सकेंगे।

12.15 राशि रु. 1.00 लाख से अधिक के सेल्फ प्रोपेल्ड कृषि यंत्रों यथा पावर टिलर, कॉप रीपर/रीपर कम बाईण्डर इत्यादि पर एप्प आधारित आर्टिफिशियल इण्टेलीजेन्स पावर्ड टेलीमेटिक्स किट का लगा होना आवश्यक होगा जिससे मशीन का लाईव मूवमेण्ट व लोकेशन ट्रेक किया जा सके तथा प्रतिदिन किये गये कार्य का रिकार्ड संधारित किया जा सके। टेलीमेटिक्स किट का डेशबोर्ड लाभार्थी कृषक, जिला एवं राज्य स्तर पर नोडल अधिकारियों को उपलब्ध रहेगा। कृषि यंत्र निर्माताओं द्वारा 1 जून 2023 से टेलीमेटिक्स किट स्टेण्डर्ड अटैचमेण्ट के रूप में उनके द्वारा विनिर्मित मशीन पर उपलब्ध कराया जायेगा।

13 योजनाओं से संबंधित निर्देश:-

13.1 समस्त योजनाओं के अन्तर्गत श्रेणीवार वित्तीय लक्ष्यों के अनुरूप प्रगति सुनिश्चित की जावे।

13.2 कृषि यंत्र अनुदान वितरण कार्यक्रम अन्तर्गत बजट घोषणाओं के वित्त विभाग, राजस्थान सरकार से प्राप्त अनुमोदन अनुसार कृषक श्रेणीवार/जिलेवार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य जारी किये जा रहे हैं (संलग्न)। कृषि आयुक्तालय द्वारा योजनावार आवंटित वित्तीय लक्ष्यों के अनुरूप प्रगति प्राप्त की जावे। भौतिक लक्ष्यों के विरुद्ध प्रगति कम अथवा अधिक हो सकती है परन्तु किसी भी स्थिति में आवंटित वित्तीय लक्ष्यों से अधिक राशि व्यय नहीं की जावे।

13.3 राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (तिलहन, दलहन, गेहूं तथा मोटा अनाज) की वर्ष 2022-23 की लम्बित देनदारियों का निस्तारण वर्ष 2023-24 में उन्हीं योजनाओं में उपलब्ध बजट से किया जायेगा।

13.4 सब मिशन ऑन एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना तथा मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना की वर्ष 2022-23 की लम्बित देनदारियों का निस्तारण वर्ष 2023-24 में ऑनलाईन संशोधित वित्तीय स्वीकृति जारी करते हुए उक्त योजनाओं में से जिस योजना में बजट उपलब्ध हो, से किया जा सकता है।

13.5 चाफ कटर एवं रिज बेड प्लाण्टर कृषि यंत्रों पर अनुदान मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना से ही स्वीकृत किये जायेंगे।


14 अन्य सामान्य निर्देश :-

14.1 राज्य के किसी एक जिले में पंजीकरण के आधार पर कृषि यंत्र निर्माता/विक्रेता द्वारा आपूर्तित यंत्रों पर अन्य जिलों में भी अनुदान दिया जा सकता है परन्तु स्थानीय कृषि यंत्र

निर्माता/विक्रेता को स्वयं के जिले के संयुक्त निदेशक, कृषि (विस्तार) जिला परिषद कार्यालय में पंजीकरण कराना आवश्यक है।

- 14.2 जिलों में कृषि मेलों के आयोजन के समय उन्नत कृषि यंत्रों का कृषकों के समक्ष प्रदर्शन किया जावे।
- 14.3 वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद खण्डीय अतिरिक्त निदेशक, कृषि (विस्तार/तिलहन) द्वारा अनुदान पर वितरित कृषि यंत्रों का रेण्डम आधार पर न्यूनतम 1 प्रतिशत, संयुक्त निदेशक, कृषि (वि०) जिला परिषद द्वारा 4 प्रतिशत तथा सहायक निदेशक, कृषि (विस्तार) द्वारा 7 प्रतिशत भौतिक सत्यापन किया जायेगा।
- 13.4 अनुदानित यंत्रों के प्रमुख स्थान पर बड़े व पठनीय अक्षरों में "कृषि विभाग द्वारा वर्ष 2023-24 में अनुदानित" का अंकन पेन्ट द्वारा अनिवार्य रूप से किया जायेगा।
- 13.5 चाफ कटर एवं रिज बेड प्लाण्टर कृषि यंत्रों के विशेष प्रचार-प्रसार कर लक्ष्यानुसार किसानों को प्रेरित कर आवेदन करवाये।
- 13.6 जिलेवार निर्धारित भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त किया जाना सुनिश्चित करावें तथा प्रगति से प्रत्येक माह की 3 तारीख तक आयुक्तालय को आवश्यक रूप से सूचित करावें।

संलग्न:- भौतिक/वित्तीय लक्ष्य।



(काना राम)
आयुक्त, कृषि

क्रमांक-प.4 (IV) यंत्र/2023-24/713-922

दिनांक: 25.05.2023

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु-

1. निजी सचिव, माननीय कृषि मंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, कृषि, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. समस्त जिला कलेक्टर.....।
4. निदेशक, अनुसंधान, महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, उदयपुर।
5. निदेशक, अनुसंधान, स्वामी केशवानन्द राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर।
6. निदेशक (रा.कृ.प्रबंध संस्थान/आत्मा समेति) दुर्गापुरा, जयपुर।
7. अतिरिक्त निदेशक, कृषि (आदान/विस्तार/अनुसंधान), मुख्यालय, जयपुर।
8. समस्त खंडीय अतिरिक्त निदेशक, कृषि (विस्तार/तिलहन).....।
9. संयुक्त निदेशक, कृषि (योजना/आदान/प्र०एवंमू०/पौ०सं०/एटीसी/ज०उ०प्र०/गु०नि०/रसायन/फसलबीमा/आर.के.वी.वाई), मुख्यालय, जयपुर।
10. मुख्य सांख्यिकी अधिकारी, मुख्यालय जयपुर।
11. परियोजना निदेशक, कृषि (विस्तार) सी.ए.डी. कोटा।
12. उप निदेशक, कृषि (विस्तार/बीज/सूचना/सांख्यिकी/सदस्य सचिव, PACT/आईसोपॉम), मु० जयपुर।
13. ए.सी.पी. एवं उपनिदेशक, कृषि आयुक्तालय को विभिन्न पोर्टलों पर अपलोड करवाने हेतु।
14. समस्त संयुक्त निदेशक, कृषि (विस्तार), जिला परिषद।
15. उप निदेशक कृषि (विस्तार) ईगानप, बीकानेर।
16. समस्त सहायक निदेशक, कृषि (विस्तार),.....।
17. सहायक जनसम्पर्क अधिकारी, सूचना शाखा, मुख्यालय, जयपुर।
18. किसान कॉल सेन्टर, कृषि आयुक्तालय, जयपुर।


(यशपाल महावत)
अति० निदेशक कृषि(आदान)

कृषि यंत्र अनुदान वितरण कार्यक्रम अन्तर्गत स्वीकृत कृषि यंत्र/उपकरण एवं देय अनुदान

क्र० सं०	श्रेणीवार यंत्र/मशीनरी का नाम	प्रति उपकरण/प्रति लाभार्थी अधिकतम देय अनुदान	
		एस.सी./एस.टी. लघु, सीमांत एवं महिला कृषकों के लिए	अन्य कृषकों के लिए
1	पावर टिलर्स (Power Tillers)		
	(i) पावर टिलर (8 बीएचपी से कम)	50% अधिकतम रु. 65,000 / -	40% अधिकतम रु. 50,000 / -
	(ii) पावर टिलर (8 बीएचपी एवं अधिक)	50% अधिकतम रु. 85,000 / -	40% अधिकतम रु. 70,000 / -
2	स्वचलित यंत्र (Self Propelled Machinery)		
	(i) क्रॉप रीपर कम बाईन्डर- (3 Wheel)	50% अधिकतम रु. 1,75,000 / -	40% अधिकतम रु. 1,40,000 / -
	(ii) क्रॉप रीपर कम बाईन्डर- (4 Wheel)	50% अधिकतम रु. 2,50,000 / -	40% अधिकतम रु. 2,00,000 / -
	(iii) पावर वीडर (इंजन ऑपरेटेड 2 बीएचपी से कम)	50% अधिकतम रु. 25,000 / -	40% अधिकतम रु. 20,000 / -
	(iv) पावर वीडर (इंजन ऑपरेटेड 2 बीएचपी से अधिक)	50% अधिकतम रु. 35,000 / -	40% अधिकतम रु. 30,000 / -
	(v) पावर वीडर (इंजन ऑपरेटेड 5 बीएचपी से अधिक)	50% अधिकतम रु. 63,000 / -	40% अधिकतम रु. 50,000 / -
3	विशिष्टीकृत स्वचलित यंत्र (Specialized Self Propelled Machinery)		
	(i) क्रोप रीपर तथा पोस्ट होल डिगर/ऑगर,	50% अधिकतम रु. 75,000 / -	40% अधिकतम रु. 60,000 / -
	(ii) न्यूमेटिक/अन्य प्लान्टर।	50% अधिकतम रु. 90,000 / -	40% अधिकतम रु. 70,000 / -
4	ट्रेक्टर/ पावर टिलर (20 बीएचपी से कम) द्वारा चलित उपकरण (Tractor/Power Tiller (below 20 BHP) Driven Equipments)		
	(अ) भूमि सुधार, जुताई एवं सीड बैड प्रिपरेशन उपकरण (Land Development, Tillage and Seed Bed Preparation Equipments)		
	(i) एम.बी.प्लाऊ (सिंगल बॉटम एवं सिंगल बॉटम रिवर्सिबल) डिस्क प्लाऊ, कल्टीवेटर, हेरो, लेवलर ब्लेड, केज व्हील, फरो ओपनर, रिजर, वीड स्लेशर,	50% अधिकतम रु. 20,000 / -	40% अधिकतम रु. 16,000 / -
	(ii) फरो ओपनर, बन्ड फार्मर, क्रस्ट ब्रेकर, रोटोपडलर रोटोकल्टीवेटर, पावर हेरो	50% अधिकतम रु. 40,000 / -	40% अधिकतम रु. 32,000 / -
	(iii) चीज़ल प्लाऊ	50% अधिकतम रु. 10,000 / -	40% अधिकतम रु. 8,000 / -
	(ब) बुवाई, रोपण, कटाई एवं खुदाई उपकरण (Sowing Planting, Reaping and Digging Equipments)		
	(i) पोस्ट होल डिगर, पोटेटो प्लान्टर, पोटेटो डिगर, ग्राउन्ड नट डिगर, स्ट्रिप टिल ड्रिल(5टाईन्स), ट्रेक्टर ड्रान क्रॉप रीपर/रीपर कम बाईन्डर, ओनियन हॉरवेस्टर, राईस स्ट्रॉ चॉपर, शुगरकेन कटर/स्ट्रीपर प्लान्टर(5टाईन्स), मल्टीक्रोप प्लान्टर (5टाईन्स),	50% अधिकतम रु. 30,000 / -	40% अधिकतम रु. 24,000 / -

	(ii) न्यूमेटिक प्लान्टर, न्यूमेटिक वेजीटेबल ट्रांसप्लान्टर, न्यूमेटिक वेजीटेबल सीडर, प्लास्टिक मल्व लेईंग मशीन,	50% अधिकतम रु. 50,000 / -	40% अधिकतम रु. 40,000 / -
	(iii) सीड ट्रीटिंग ड्रम, सीड कम फर्टीलाइजर ड्रिल (5टाईन्स), एक्वा फर्टी सीड ड्रिल (5-7टाईन्स),	50% अधिकतम रु. 15,000 / -	40% अधिकतम रु. 12,000 / -
	(स) इंटर कल्टीवेशन उपकरण (Inter Cultivation Equipments) ग्रास वीड स्लेशर, पावर वीडर	50% अधिकतम रु. 25,000 / -	40% अधिकतम रु. 20,000 / -
	(द) अवशिष्ट प्रबंधन हेतु उपकरण/हे एण्ड फॉरेज उपकरण (Equipments for Residue Management/ Hay & Forrage Equipments) शुगरकेन थ्रेस कटर, कोकोनट फ्रॉन्ड चोपर, स्ट्रा रीपर, स्टबल शेवर	50% अधिकतम रु. 25,000 / -	40% अधिकतम रु. 20,000 / -
	(य) कटाई एवं गहाई उपकरण (3hp h से कम क्षमता के इंजन/ विद्युत मोटर तथा पावर टिलर और 20 BHP ट्रेक्टर से कम क्षमता के ट्रेक्टर द्वारा चलित) (Harvesting & Threshing Equipments- Operated by engine/electric motor below 3hp and by Power Tiller and Tractor of below 20 BHP tractor) ग्राउन्ड नट पोड स्ट्रीपर, थ्रेसर, मल्टी क्रोप थ्रेसर्स, पेडी थ्रेसर, ब्रश कटर, विनोइन्ग फेन, मेज शेल्डर, मोवर, फलेल हार्वेस्टर, मोवर शेडर (समस्त फसलों/समस्त उद्देश्यों हेतु)।	50% अधिकतम रु. 30,000 / -	40% अधिकतम रु. 25,000 / -
5	ट्रेक्टर (20 बीएचपी से अधिक से 35 बीएचपी तक) चलित उपकरण (Tractor (Above 20 - 35BHP) Driven Equipments)		
	(अ) भूमि सुधार, जुताई एवं सीड बैड प्रिपारेशन उपकरण (Land Development, Tillage & Seed Bed Preparation Equipments)		
	(i) एम.बी.प्लाऊ (सिंगल बॉटम एवं सिंगल बॉटम रिवर्सिबल), डिस्क प्लाऊ, कल्टीवेटर, हैरो, लेवलर ब्लेड, केज व्हील, फरो ओपनर, रिजर, वीड स्लेशर	50% अधिकतम रु. 30,000 / -	40% अधिकतम रु. 25,000 / -
	(ii) रोटोपडलर, फरो ओपनर, बन्ड फार्मर, क्रस्ट ब्रेकर, रोटोकल्टीवेटर, पावर हेरो	50% अधिकतम रु. 60,000 / -	40% अधिकतम रु. 50,000 / -
	(iii) रोटोवेटर 5 फीट तक	50% अधिकतम रु. 42,000 / -	40% अधिकतम रु. 34,000 / -
	(iv) चीज़ल प्लाऊ	50% अधिकतम रु. 20,000 / -	40% अधिकतम रु. 16,000 / -
	(v) रिवर्सिबल हाईड्रॉलिक प्लाऊ (2बॉटम)	50% अधिकतम रु. 70,000 / -	40% अधिकतम रु. 56,000 / -
	(vi) रिवर्सिबल मैकेनिकल प्लाऊ (2बॉटम)	50% अधिकतम रु. 40,000 / -	40% अधिकतम रु. 32,000 / -
	(vii) लेजर लेण्ड लेवलर	50% अधिकतम रु. 2,00,000 / -	40% अधिकतम रु. 1,60,000 / -
	(ब) बुवाई, रोपण, कटाई एवं खुदाई उपकरण (Sowing Planting, Reaping and Digging Equipments)		
	(i) पोस्ट होल डिगर, पोटेटो प्लान्टर, पोटेटो डिगर, ग्राउन्ड नट डिगर, ट्रेक्टर ड्रान कॉप रीपर, ओनियन हॉरवेस्टर, शुगर केन कटर/स्ट्रीपर, मल्टीक्रोप प्लान्टर	50% अधिकतम रु. 40,000 / -	40% अधिकतम रु. 32,000 / -
	(ii) सीड ड्रिल (7टाईन्स), जीरो टिल मल्टीकॉप प्लान्टर (7टाईन्स), सीड ट्रीटिंग ड्रम, सीड कम फर्टीलाइजर ड्रिल (7टाईन्स),	50% अधिकतम रु. 18,000 / -	40% अधिकतम रु. 16,000 / -
	(iii) डायरेक्ट राईस सीडर (DRS)	50% अधिकतम रु. 20,000 / -	40% अधिकतम रु. 16,000 / -

Ar

	(iv) न्यूमेटिक प्लान्टर, न्यूमेटिक वेजीटेबल ट्रांसप्लान्टर, न्यूमेटिक वेजीटेबल सीडर, प्लास्टिक मल्व लेईंग मशीन, एक्वा फर्टी सीड ड्रिल (9टाईन्स)	50% अधिकतम रु. 75,000 / -	40% अधिकतम रु. 60,000 / -
	(v) हैप्पी / टर्बो सीडर (9टाईन्स),	50% अधिकतम रु. 72,800 / -	40% अधिकतम रु. 58,200 / -
	(स) इंटर कल्टीवेशन उपकरण (Inter Cultivation Equipments) ग्रास वीड स्लेशर, पावर वीडर	50% अधिकतम रु. 35,000 / -	40% अधिकतम रु. 30,000 / -
	(द) अवशिष्ट प्रबंधन हेतु उपकरण / हे एण्ड फॉरेज उपकरण (Equipments for Residue Management/ Hay & Forrage Equipments)		
	(i) शुगर केन थ्रेस कटर, कोकोनट फ्रॉन्ड चोपर, स्टबल शेवर	50% अधिकतम रु. 40,000 / -	40% अधिकतम रु. 30,000 / -
	(ii) नैरो रियर रिम (1 जोड़ा) ट्रैक्टर के लिए	50% अधिकतम रु. 7,000 / -	40% अधिकतम रु. 5,600 / -
	(iii) स्ट्रॉ चोपर / शेडर / मल्वर माउण्टेड टाईप 5 फीट	50% अधिकतम रु. 67,200 / -	40% अधिकतम रु. 53,800 / -
	(iv) स्ट्रॉ रीपर, रेक (कम क्षमता वाली)	50% अधिकतम रु. 75,000 / -	40% अधिकतम रु. 60,000 / -
	(v) बेलर्स (राउण्ड) (प्रति बेल 14 किलो से कम), फीड ब्लॉक मशीन (100-200 किग्रा / घण्टा)	50% अधिकतम रु. 1,50,000 / -	40% अधिकतम रु. 1,20,000 / -
	(य) कटाई एवं गहाई उपकरण (5bhp से कम क्षमता के इंजन / विद्युत मोटर चलित तथा पॉवर टिलर एवं 35 BHP ट्रैक्टर से कम क्षमता के ट्रैक्टर द्वारा चलित) Harvesting & Threshing Equipments- (Operated by engine/electric motor below 5bhp and by Power Tiller and Tractor of below 35 BHP tractor)		
	(i) ग्राउन्ड नट पोड स्ट्रीपर, थ्रेसर, मल्टी क्रोप थ्रेसर्स, पेडी थ्रेसर, ब्रश कटर, मेज शेलर, मोवर, फलेल हार्वेस्टर, मोवर शेडर (समस्त फसलों / समस्त उद्देश्यों हेतु)।	50% अधिकतम रु. 40,000 / -	40% अधिकतम रु. 30,000 / -
	(ii) क्रॉप रीपर कम बाईण्डर (ट्रैक्टर चलित)	50% अधिकतम रु. 1,25,000 / -	40% अधिकतम रु. 1,00,000 / -
6	ट्रैक्टर (35 बीएचपी से अधिक) द्वारा चलित उपकरण (Tractor (Above 35BHP) Driven Equipments)		
	(अ) भूमि सुधार, जुताई एवं सीड बैड प्रिपारेशन उपकरण (Land Development, Tillage & Seed Bed Preparation Equipments)		
	(i) एम.बी.प्लाऊ, डिस्क प्लाऊ, कल्टीवेटर, हैरो, लेवलर ब्लेड, केज व्हील, फरो ओपनर, रिजर	50% अधिकतम रु. 50,000 / -	40% अधिकतम रु. 40,000 / -
	(ii) लेजर लेण्ड लेवलर	50% अधिकतम रु. 2,00,000 / -	40% अधिकतम रु. 1,60,000 / -
	(iii) रोटोवेटर		
	अ- 5 फीट	50% अधिकतम रु. 42,000 / -	40% अधिकतम रु. 34,000 / -
	ब- 6 फीट	50% अधिकतम रु. 44,800 / -	40% अधिकतम रु. 35,800 / -
	स- 7 फीट	50% अधिकतम रु. 47,600 / -	40% अधिकतम रु. 38,100 / -
	द- 8 फीट	50% अधिकतम	40% अधिकतम

	रु. 50,400 /-	रु.40,300 /-
(iv) रोटो पडलर	50% अधिकतम रु.1,00,000 /-	40% अधिकतम रु. 80,000 /-
(v) रिवर्सिबल हाईड्रॉलिक प्लाऊ- 2 बॉटम	50% अधिकतम रु.70,000 /-	40% अधिकतम रु. 56,000 /-
(vi) रिवर्सिबल हाईड्रॉलिक प्लाऊ- 3 बॉटम	50% अधिकतम रु. 89,500 /-	40% अधिकतम रु. 71,600 /-
(vii) रिवर्सिबल मैकेनिकल प्लाऊ- 2 बॉटम	50% अधिकतम रु. 40,000 /-	40% अधिकतम रु. 32,000 /-
(viii) रिवर्सिबल मैकेनिकल प्लाऊ- 3 बॉटम	50% अधिकतम रु. 50,000 /-	40% अधिकतम रु. 40,000 /-
(ix) सब सोयलर	50% अधिकतम रु. 55,000 /-	40% अधिकतम रु. 45,000 /-
(x) ट्रेन्च मेकर, बण्ड फॉर्मर (दोनों पी.टी.ओ. चलित)	50% अधिकतम रु.1,50,000 /-	40% अधिकतम रु.1,20,000 /-
(xi) फरो ओपनर, बन्ड फार्मर,	50% अधिकतम रु. 30,000 /-	40% अधिकतम रु. 25,000 /-
(xii) क्रस्ट ब्रेकर	50% अधिकतम रु. 35,000 /-	40% अधिकतम रु. 30,000 /-
(xiii) रोटोकल्टीवेटर, पावर हेरो (पी.टी.ओ. चलित)	50% अधिकतम रु.1,00,000 /-	40% अधिकतम रु. 80,000 /-
(ब) बुवाई, रोपण, कटाई एवं खुदाई उपकरण (Sowing and Planting Equipments)		
(i) सीड ड्रिल/जीरो टिल सीड ड्रिल (9टाईन्स और अधिक)	50% अधिकतम रु. 20,000 /-	40% अधिकतम रु. 16,000 /-
(ii) पोटेटो डिगर	50% अधिकतम रु. 40,000 /-	40% अधिकतम रु. 35,000 /-
(iii) ट्रेक्टर ड्रान कॉप रीपर	50% अधिकतम रु. 75,000 /-	40% अधिकतम रु. 60,000 /-
(iv) ओनियन हार्वेस्टर	50% अधिकतम रु. 80,000 /-	40% अधिकतम रु. 65,000 /-
(v) सीड कम फर्टीलाइजर ड्रिल/जीरो टिल सीड कम फर्टीलाइजर ड्रिल		
अ- 9 टाईन्स	50% अधिकतम रु. 21,300 /-	40% अधिकतम रु. 17,000 /-
ब- 11 टाईन्स	50% अधिकतम रु. 24,100 /-	40% अधिकतम रु. 19,300 /-
स- 13 टाईन्स	50% अधिकतम रु. 26,900 /-	40% अधिकतम रु. 21,500 /-
द- 15 टाईन्स	50% अधिकतम रु. 28,000 /-	40% अधिकतम रु. 22,400 /-
(vi) डायरेक्ट राईस सीडर (DRS)	50% अधिकतम रु. 20,000 /-	40% अधिकतम रु. 16,000 /-
(vii) पोस्ट होल डिगर, पोटेटो प्लान्टर (ऑटोमेटिक), ग्राउन्ड नट डिगर, शुगर केन कटर/स्ट्रीपर/प्लान्टर, मल्टीक्रोप प्लान्टर (9टाईन्स और अधिक), जीरो टिल मल्टीक्रोप प्लान्टर (9टाईन्स और अधिक)	50% अधिकतम रु. 75,000 /-	40% अधिकतम रु. 60,000 /-
(viii) हैप्पी/टर्बो सीडर (9 टाईन्स)	50% अधिकतम	40% अधिकतम

		रु. 72,800 / -	रु. 58,200 / -
(ix) हैप्पी/टर्बो सीडर (10 टाईन्स)		50% अधिकतम रु. 75,600 / -	40% अधिकतम रु. 60,500 / -
(x) हैप्पी/टर्बो सीडर (11 टाईन्स)		50% अधिकतम रु. 78,400 / -	40% अधिकतम रु. 62,700 / -
(xi) सुपर सीडर		50% अधिकतम रु.1,05,000 / -	40% अधिकतम रु. 84,000 / -
(xii) न्यूमेटिक प्लान्टर, न्यूमेटिक वेजीटेबल ट्रांसप्लान्टर, न्यूमेटिक वेजीटेबल सीडर		50% अधिकतम रु.2,25,000 / -	40% अधिकतम रु.1,80,000 / -
(xiii) केसावा प्लान्टर (9टाईन्स और अधिक), मैन्योर स्प्रेडर, फर्टिलाईजर स्प्रेडर (पी टी ओ चलित), प्लास्टिक मलच लेईंग मशीन, एक्वा फर्टी सीड ड्रिल (9टाईन्स और अधिक),		50% अधिकतम रु.75,000 / -	40% अधिकतम रु 60,000 / -
(स) इंटर कल्टीवेशन उपकरण(Inter Cultivation Equipments)		50% अधिकतम	40% अधिकतम
(i) ग्रास/वीड स्लेशर, वीडर (पीटीओ ऑपरेटेड)		रु. 75,000 / -	रु. 60,000 / -
(द) कटाई एवं गहाई उपकरण (5 hp से अधिक क्षमता के इंजन/ विद्युत मोटर द्वारा चलित तथा 35 BHP ट्रैक्टर से अधिक क्षमता के ट्रैक्टर द्वारा चलित) Harvesting & Threshing Equipments-(Operated by engine / electric motor above 5 hp and by Tractor of above 35 BHP tractor)			
(i) ग्राउन्ड नट पोड स्ट्रीपर, थ्रेसर/मल्टी क्रोप थ्रेसर्स (4 टन प्रति घंटे की क्षमता तक), पेडी थ्रेसर, चाफ कटर, फोरेज हार्वेस्टर, मेज शेलर, मोवर, फ्लेल हार्वेस्टर, मोवर शेडर (समस्त फसलों/समस्त उद्देश्यों हेतु)		50% अधिकतम रु.1,00,000 / -	40% अधिकतम रु. 80,000 / -
(ii) कॉप रीपर कम बाईण्डर (ट्रेक्टर चलित)		50% अधिकतम रु.1,50,000 / -	40% अधिकतम रु.1,20,000 / -
(य) अवशिष्ट प्रबंधन हेतु उपकरण/हे एण्ड फॉरेज उपकरण (Equipments for Residue Management/ Hay & Forrage Equipments)		50% अधिकतम	40% अधिकतम
(i) वुड चीपर्स, शुगर केन रेटून मैनेजर		रु.1,25,000 / -	रु.1,00,000 / -
(ii) शब मास्टर/कटर कम स्प्रेडर, रोटरी स्ट्रा स्लेशर		50% अधिकतम रु.25,000 / -	40% अधिकतम रु.18,000 / -
(iii)सुपर स्ट्रा मैनेजमेंट सिस्टम (सुपर एसएमएस) कम्बाईन हार्वेस्टर के साथ जोडा जावे		50% अधिकतम रु.56,000 / -	40% अधिकतम रु.45,000 / -
(iv) कोकोनट फ्रॉन्ड चोपर		50% अधिकतम रु.63,000 / -	40% अधिकतम रु.50,000 / -
(v) हे रेक		50% अधिकतम रु.1,50,000 / -	40% अधिकतम रु.1,20,000 / -
(vi) बेलर्स (राउण्ड) (14-16 किग्रा प्रति बेल)		50% अधिकतम रु.2,00,000 / -	40% अधिकतम रु.1,60,000 / -
(vii) कॉटन स्टाल्क अपरुटर		50% अधिकतम रु.75,000 / -	40% अधिकतम रु.60,000 / -
(viii) स्ट्रा रीपर		50% अधिकतम रु.1,30,000 / -	40% अधिकतम रु.1,04,000 / -
(ix) स्टबल शेवर		50% अधिकतम रु. 80,000 / -	40% अधिकतम रु 64,000 / -
(x) स्ट्रॉ चोपर/शेडर/मलचर			
अ- माउण्टेड टाईप 5 फीट		50% अधिकतम	40% अधिकतम

		रु. 67,200 / -	रु 53,800 / -
	ब- माउण्टेड टाईप 6 फीट	50% अधिकतम रु. 72,800 / -	40% अधिकतम रु 58,200 / -
	स- माउण्टेड टाईप 7 फीट	50% अधिकतम रु. 78,400 / -	40% अधिकतम रु 62,700 / -
	द- माउण्टेड टाईप 8 फीट	50% अधिकतम रु. 84,000 / -	40% अधिकतम रु 67,200 / -
	य- ट्रेल्ड टाईप	50% अधिकतम रु.1,26,000 / -	40% अधिकतम रु1,01,000 / -
	र- कॉम्बो टाईप	50% अधिकतम रु. 1,40,000 / -	40% अधिकतम रु 1,12,000 / -
	(xiv) शुगर केन थ्रेश कटर	50% अधिकतम रु. 40,000 / -	40% अधिकतम रु 30,000 / -
	(xv) स्पेटियल जीरो टिल ड्रिल		
	अ- 9 टाईन	50% अधिकतम रु. 22,500 / -	40% अधिकतम रु 18,000 / -
	ब- 11 टाईन	50% अधिकतम रु. 25,600 / -	40% अधिकतम रु 20,500 / -
	स- 13 टाईन	50% अधिकतम रु. 28,000 / -	40% अधिकतम रु 22,400 / -
	द- 15 टाईन	50% अधिकतम रु. 30,000 / -	40% अधिकतम रु 24,000 / -
	(xvi) स्मार्ट सीडर		
	अ- 9 टाईन	50% अधिकतम रु. 74,000 / -	40% अधिकतम रु 59,200 / -
	ब- 10 टाईन	50% अधिकतम रु. 76,500 / -	40% अधिकतम रु 61,200 / -
	स- 11 टाईन	50% अधिकतम रु. 78,500 / -	40% अधिकतम रु 62,800 / -
	द- 12 टाईन	50% अधिकतम रु. 82,000 / -	40% अधिकतम रु 65,600 / -
7.	हस्त/पशु चलित कृषि यंत्र/उपकरण (All Manual/ Animal Drawn Equipments/Implements)		
	(अ) भूमि सुधार , जुताई एवं सीड बैड प्रिपरेशन उपकरण (Land Development, Tillage & Seed Bed Preparation Equipments) एम.बी.प्लाऊ, डिस्क प्लाऊ, कल्टीवेटर, हेरो, लेवलर ब्लेड, फरो ओपनर, रिजर ,पडलर	50% अधिकतम रु. 10,000 / -	40% अधिकतम रु 8,000 / -
	(ब) बुवाई एवं रोपण उपकरण (Sowing Planting, Reaping and Digging Equipments)		
	(i) पेडी प्लान्टर, सीड कम फर्टीलाइजर ड्रिल, रेज्ड बेड प्लान्टर, प्लान्टर, डिबलर, इक्विपमेन्ट्स फॉर रेजिंग पैडी नर्सरी, मार्कर फॉर एस.आर.आई., सीड ट्रीटिंग ड्रम, राईस व्हीट सीडर	50% अधिकतम रु. 10,000 / -	40% अधिकतम रु 8,000 / -
	(ii) ड्रम सीडर (4 कतार से कम)	50% अधिकतम रु. 3,000 / -	40% अधिकतम रु 2,500 / -
	(iii) ड्रम सीडर (4 कतार से अधिक)	50% अधिकतम रु. 4,000 / -	40% अधिकतम रु 3,000 / -
	(iv) बैटरी चलित फर्टीलाइजर स्प्रेडर/ब्रोडकास्टर (3 से 5 लीटर क्षमता)	50% अधिकतम रु .3,100 / -	40% अधिकतम रु 2,500 / -

	(स) कटाई एवं गहाई उपकरण (Harvesting & Threshing Equipments) (i) ग्राउन्ड नट पोड स्ट्रीपर, थ्रेसर, विनोइंग फेन, ट्री क्लार्इम्बर, हॉर्टीकल्चर हेण्ड टूल्स, मेज शैलर, फीड ब्लॉक मशीन, स्पाईरल ग्रेडर ।	50% अधिकतम रु. 10,000 / -	40% अधिकतम रु 8,000 / -
	(ii) कॉटन प्लकर्स (12 वॉट बैटरी)	50% अधिकतम रु 3,500 / -	40% अधिकतम रु 2,800 / -
	(द) इंटर कल्टीवेशन उपकरण (Inter Cultivation Equipments) ग्रास वीड स्लेशर, वीडर, कोनो वीडर, गार्डन हेन्ड टूल्स ।	50% अधिकतम रु. 1,200 / -	40% अधिकतम रु 1,000 / -
	पौध संरक्षण यंत्र (Plant Protection Equipments)		
8.	(अ) ट्रेक्टर ऑपरेटेड स्प्रेयर (एयर कैरियर/असिस्टेड)	50% अधिकतम रु. 1,25,000 / -	40% अधिकतम रु 1,00,000 / -
	(ब) ट्रेक्टर ऑपरेटेड इलेक्ट्रोस्टेटिक स्प्रेयर	50% अधिकतम रु. 2,50,000 / -	40% अधिकतम रु 2,00,000 / -
9.	उद्यानिकी/पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी इक्विपमेन्ट्स (Horticulture/Post Harvest Technology Equipments)		
	(अ) खाद्यान, ऑयल सीड हेतु फसल कटाई उपरान्त उपकरण तथा अन्य उद्यानिकी उपकरण (Post Harvest Equipments for Food Grains, OilSeeds and Horticultural Equipments)		
	(i) समस्त प्रकार के शक्तिचलित डिहस्कर/शैलर/थ्रेसर/हारवेस्टर/पीलर/स्पिल्टर	60% अधिकतम रु. 75,000 / -	50% अधिकत रु. 60,000 / -
	(ii) समस्त प्रकार के क्लीनर कम ग्रेडर/ग्रेडियंट सेपरेटर/स्पेसिफिक ग्रेविटी सेपरेटर (समस्त प्रकार के उद्यानिकी/खाद्यान/ऑयलसीड फसलों हेतु)	50% अधिकतम रु.1,00,000 / -	40% अधिकतम रु. 80,000 / -

नोट:- आई. एस. आई. मार्का के उपलब्ध कृषि यंत्रों को प्राथमिकता दी जावेगी।

मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना अन्तर्गत कृषि यंत्र अनुदान वितरण कार्यक्रम वर्ष 2023-24 के जिलेवार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य

क्र.सं.	जिले का नाम	भौतिक लक्ष्य (संख्या)				वित्तीय लक्ष्य (रु. लाखों में)			
		सामान्य	अनुसूचित जाति	अनुसूचितजन जाति	योग	सामान्य	अनुसूचित जाति	अनुसूचितजन जाति	योग
1	अजमेर	2991	761	132	3884	747.75	190.25	33.00	971.00
2	अलवर	2341	321	360	3022	585.25	80.25	90.00	755.50
3	बांसवाड़ा	490	42	664	1196	122.50	10.50	166.00	299.00
4	बारां	1457	688	833	2978	364.25	172.00	208.25	744.50
5	बाड़मेर	2034	224	84	2342	508.50	56.00	21.00	585.50
6	भरतपुर	2228	275	88	2591	557.00	68.75	22.00	647.75
7	भीलवाड़ा	1921	922	295	3138	480.25	230.50	73.75	784.50
8	बीकानेर	2113	1036	10	3159	528.25	259.00	2.50	789.75
9	बूंदी	1847	454	957	3258	461.75	113.50	239.25	814.50
10	सी ए डी कोटा	1844	490	1567	3901	461.00	122.50	391.75	975.25
11	चित्तौड़गढ़	2897	869	167	3933	724.25	217.25	41.75	983.25
12	चुरू	1903	468	10	2381	475.75	117.00	2.50	595.25
13	आईजीएनपी बीकानेर	249	154	10	413	62.25	38.50	2.50	103.25
14	दौसा	530	168	756	1454	132.50	42.00	189.00	363.50
15	धौलपुर	1014	677	191	1882	253.50	169.25	47.75	470.50
16	डूंगरपुर	361	24	460	845	90.25	6.00	115.00	211.25
17	हनुमानगढ़	3305	1339	10	4654	826.25	334.75	2.50	1163.50
18	जयपुर	4494	433	518	5445	1123.50	108.25	129.50	1361.25
19	जैसलमेर	699	384	34	1117	174.75	96.00	8.50	279.25
20	जालौर	2449	963	107	3519	612.25	240.75	26.75	879.75
21	झालावाड़	2093	854	815	3762	523.25	213.50	203.75	940.50
22	झुंझुनूं	1793	182	27	2002	448.25	45.50	6.75	500.50
23	जोधपुर	2803	326	53	3182	700.75	81.50	13.25	795.50
24	करौली	756	172	826	1754	189.00	43.00	206.50	438.50
25	कोटा	1432	212	277	1921	358.00	53.00	69.25	480.25
26	नागौर	3382	329	6	3717	845.50	82.25	1.50	929.25
27	पाली	1663	209	76	1948	415.75	52.25	19.00	487.00
28	प्रतापगढ़	980	300	422	1702	245.00	75.00	105.50	425.50
29	राजसमंद	801	71	72	944	200.25	17.75	18.00	236.00
30	सवाई माधोपुर	923	622	1665	3210	230.75	155.50	416.25	802.50
31	सीकर	3425	494	54	3973	856.25	123.50	13.50	993.25
32	सिरोही	913	783	147	1843	228.25	195.75	36.75	460.75
33	श्री गंगानगर	3005	797	10	3812	751.25	199.25	2.50	953.00
34	टोंक	2698	875	656	4229	674.50	218.75	164.00	1057.25
35	उदयपुर	1496	90	703	2289	374.00	22.50	175.75	572.25
योग		65330	17008	13062	95400	16332.50	4252.00	3265.50	23850.00

(Handwritten signature)

राष्ट्रीय कृषि विकास योजना अन्तर्गत कृषि यंत्र अनुदान वितरण कार्यक्रम वर्ष 2023-24 के जिलेवार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य

क्र.सं.	जिले का नाम	भौतिक लक्ष्य (संख्या)				वित्तीय लक्ष्य (रु. लाखों में)			
		सामान्य	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	योग	सामान्य	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	योग
1	सी ए डी कोटा	15	60	325	400	3.75	15.00	81.25	100.00
2	चित्तौड़गढ़	290	90	20	400	72.50	22.50	5.00	100.00
3	हनुमानगढ़	710	290	0	1000	177.50	72.50	0.00	250.00
4	जयपुर	990	95	115	1200	247.50	23.75	28.75	300.00
5	झालावाड़	220	90	90	400	55.00	22.50	22.50	100.00
6	नागौर	360	35	5	400	90.00	8.75	1.25	100.00
7	श्री गंगानगर	315	85	0	400	78.75	21.25	0.00	100.00
8	टोंक	250	80	70	400	62.50	20.00	17.50	100.00
योग		3150	825	625	4600	787.50	206.25	156.25	1150.00



मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना अन्तर्गत चॉफ कटर (हस्त चलित) कृषि यंत्र अनुदान वितरण कार्यक्रम वर्ष 2023-24 के जिलेवार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य

क्र.सं.	जिले का नाम	भौतिक लक्ष्य (संख्या)				वित्तीय लक्ष्य (रु. लाखों में)			
		सामान्य	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	योग	सामान्य	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	योग
1	अजमेर	300	171	58	529	12.00	8.55	2.90	23.45
2	अलवर	342	72	158	572	13.68	3.60	7.90	25.18
3	बांसवाड़ा	82	16	298	396	3.28	0.80	14.90	18.98
4	बारां	213	154	365	732	8.52	7.70	18.25	34.47
5	बाड़मेर	297	50	40	387	11.88	2.50	2.00	16.38
6	भरतपुर	325	62	39	426	13.00	3.10	1.95	18.05
7	भीलवाड़ा	281	207	129	617	11.24	10.35	6.45	28.04
8	बीकानेर	309	232	20	561	12.36	11.60	1.00	24.96
9	बूंदी	696	78	326	1100	27.84	3.90	16.30	48.04
10	सी ए डी कोटा	150	123	337	610	6.00	6.15	16.85	29.00
11	चित्तौड़गढ़	465	215	82	762	18.60	10.75	4.10	33.45
12	चुरू	278	105	20	403	11.12	5.25	1.00	17.37
13	ईगानप बीकानेर	36	35	20	91	1.44	1.75	1.00	4.19
14	दौसा	77	38	331	446	3.08	1.90	16.55	21.53
15	धौलपुर	148	152	100	400	5.92	7.60	5.00	18.52
16	डूंगरपुर	102	10	202	314	4.08	0.50	10.10	14.68
17	हनुमानगढ़	286	265	20	571	11.44	13.25	1.00	25.69
18	जयपुर	500	118	277	895	20.00	5.90	13.85	39.75
19	जैसलमेर	152	86	30	268	6.08	4.30	1.50	11.88
20	जालौर	358	216	47	621	14.32	10.80	2.35	27.47
21	झालावाड़	338	212	397	947	13.52	10.60	19.85	43.97
22	झुंझुनूं	300	50	60	410	12.00	2.50	3.00	17.50
23	जोधपुर	374	73	23	470	14.96	3.65	1.15	19.76
24	करौली	110	39	362	511	4.40	1.95	18.10	24.45
25	कोटा	209	48	130	387	8.36	2.40	6.50	17.26
26	नागौर	546	82	20	648	21.84	4.10	1.00	26.94
27	पाली	300	50	50	400	12.00	2.50	2.50	17.00
28	प्रतापगढ़	143	67	185	395	5.72	3.35	9.25	18.32
29	राजसमंद	317	116	389	822	12.68	5.80	19.45	37.93
30	सवाई माधोपुर	300	140	730	1170	12.00	7.00	36.50	55.50
31	सीकर	400	110	24	534	16.00	5.50	1.20	22.70
32	सिरोही	133	176	85	394	5.32	8.80	4.25	18.37
33	श्री गंगानगर	485	198	20	703	19.40	9.90	1.00	30.30
34	टोंक	430	214	318	962	17.20	10.70	15.90	43.80
35	उदयपुर	218	20	308	546	8.72	1.00	15.40	25.12
	योग	10000	4000	6000	20000	400.00	200.00	300.00	900.00

मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना अन्तर्गत चॉफ कटर (पावर चलित) कृषि यंत्र अनुदान वितरण कार्यक्रम वर्ष 2023-24 के जिलेवार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य

क्र.सं.	जिले का नाम	भौतिक लक्ष्य (संख्या)				वित्तीय लक्ष्य (रु. लाखों में)			
		सामान्य	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	योग	सामान्य	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	योग
1	अजमेर	782	117	85	984	62.56	11.70	8.50	82.76
2	अलवर	684	72	158	914	54.72	7.20	15.80	77.72
3	बांसवाड़ा	144	9	291	444	11.52	0.90	29.10	41.52
4	बारां	426	154	365	945	34.08	15.40	36.50	85.98
5	बाड़मेर	594	50	37	681	47.52	5.00	3.70	56.22
6	भरतपुर	650	62	39	751	52.00	6.20	3.90	62.10
7	भीलवाड़ा	562	207	129	898	44.96	20.70	12.90	78.56
8	बीकानेर	618	232	20	870	49.44	23.20	2.00	74.64
9	बूंदी	1310	76	414	1800	104.80	7.60	41.40	153.80
10	सी ए डी कोटा	300	123	337	760	24.00	12.30	33.70	70.00
11	चित्तौड़गढ़	930	215	82	1227	74.40	21.50	8.20	104.10
12	चुरू	556	105	20	681	44.48	10.50	2.00	56.98
13	ईगानप बीकानेर	72	35	20	127	5.76	3.50	2.00	11.26
14	दौसा	154	38	331	523	12.32	3.80	33.10	49.22
15	धौलपुर	400	152	200	752	32.00	15.20	20.00	67.20
16	झुंजरपुर	106	5	202	313	8.48	0.50	20.20	29.18
17	हनुमानगढ़	572	265	20	857	45.76	26.50	2.00	74.26
18	जयपुर	1000	118	277	1395	80.00	11.80	27.70	119.50
19	जैसलमेर	204	86	30	320	16.32	8.60	3.00	27.92
20	जालौर	716	216	47	979	57.28	21.60	4.70	83.58
21	झालावाड़	676	212	397	1285	54.08	21.20	39.70	114.98
22	झुंझुनूं	524	41	40	605	41.92	4.10	4.00	50.02
23	जोधपुर	748	73	23	844	59.84	7.30	2.30	69.44
24	करौली	286	50	342	678	22.88	5.00	34.20	62.08
25	कोटा	418	48	120	586	33.44	4.80	12.00	50.24
26	नागौर	1042	82	20	1144	83.36	8.20	2.00	93.56
27	पाली	584	56	40	680	46.72	5.60	4.00	56.32
28	प्रतापगढ़	286	67	185	538	22.88	6.70	18.50	48.08
29	राजसमंद	634	116	389	1139	50.72	11.60	38.90	101.22
30	सवाई माधोपुर	600	140	650	1390	48.00	14.00	65.00	127.00
31	सीकर	800	110	24	934	64.00	11.00	2.40	77.40
32	सिरोही	356	236	86	678	28.48	23.60	8.60	60.68
33	श्री गंगानगर	970	198	20	1188	77.60	19.80	2.00	99.40
34	टोंक	860	214	252	1326	68.80	21.40	25.20	115.40
35	उदयपुर	436	20	308	764	34.88	2.00	30.80	67.68
योग		20000	4000	6000	30000	1600.00	400.00	600.00	2600.00

**मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना अन्तर्गत रिज बेड प्लाण्टर (लाईट वेट) कृषि यंत्र अनुदान वितरण कार्यक्रम वर्ष
2023-24 के जिलेवार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य**

क्र.सं.	जिले का नाम	भौतिक लक्ष्य (संख्या)				वित्तीय लक्ष्य (रु. लाख)			
		Gen	SC	ST	Total	Gen	SC	ST	Total
1	अजमेर	20	26	3	49	3.50	6.83	0.79	11.12
2	अलवर	42	43	19	104	7.35	11.28	4.99	23.62
3	बांसवाड़ा	2	0	3	5	0.35	0.00	0.79	1.14
4	बारां	39	20	33	92	6.82	5.25	8.66	20.73
5	बाड़मेर	297	216	130	643	51.97	56.70	34.12	142.79
6	भरतपुर	5	8	0	13	0.88	2.10	0.00	2.98
7	भीलवाड़ा	7	6	5	18	1.22	1.58	1.31	4.11
8	बीकानेर	100	157	0	257	17.50	41.21	0.00	58.71
9	बूंदी	9	6	8	23	1.58	1.58	2.10	5.26
10	सी.ए.डी कोटा	18	18	14	50	3.15	4.73	3.68	11.56
11	चित्तौड़गढ़	31	27	20	78	5.43	7.08	5.25	17.76
12	चुरू	34	50	0	84	5.95	13.12	0.00	19.07
13	ईगानप, बीकानेर	22	18	10	50	3.85	4.73	2.63	11.21
14	दौसा	6	5	4	15	1.05	1.31	1.05	3.41
15	धौलपुर	10	12	4	26	1.75	3.15	1.05	5.95
16	डूंगरपुर	1	0	1	2	0.18	0.00	0.26	0.44
17	हनुमानगढ़	7	12	0	19	1.23	3.15	0.00	4.38
18	जयपुर	163	270	74	507	28.52	70.87	19.43	118.82
19	जैसलमेर	165	175	70	410	28.87	45.93	18.37	93.17
20	जालौर	180	190	80	450	31.50	49.87	21.00	102.37
21	झालावाड़	125	100	88	313	21.87	26.25	23.10	71.22
22	झुंझुनूं	15	23	0	38	2.63	6.04	0.00	8.67
23	जोधपुर	290	400	35	725	50.75	105.00	9.18	164.93
24	करौली	2	2	2	6	0.35	0.53	0.53	1.41
25	कोटा	37	37	18	92	6.48	9.71	4.73	20.92
26	नागौर	152	228	0	380	26.60	59.84	0.00	86.44
27	पाली	75	80	32	187	13.12	21.00	8.40	42.52
28	प्रतापगढ़	28	5	38	71	4.90	1.31	9.97	16.18
29	राजसमंद	3	3	2	8	0.53	0.79	0.53	1.85
30	सवाई माधोपुर	20	15	15	50	3.50	3.94	3.94	11.38
31	सीकर	42	50	12	104	7.35	13.12	3.15	23.62
32	सिरोही	20	10	20	50	3.50	2.63	5.25	11.38
33	श्री गंगानगर	19	28	0	47	3.32	7.35	0.00	10.67
34	टोंक	8	7	4	19	1.40	1.84	1.05	4.29
35	उदयपुर	6	2	7	15	1.05	0.53	1.84	3.42
	Total	2000	2249	751	5000	350	590.35	197.15	1137.50

मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना अन्तर्गत रिज बेड प्लाण्टर (हेवी वेट) कृषि यंत्र अनुदान वितरण कार्यक्रम वर्ष 2023-24 के जिलेवार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य

क.सं.	जिले का नाम	भौतिक लक्ष्य (संख्या)				वित्तीय लक्ष्य (रु. लाख)			
		Gen	SC	ST	Total	Gen	SC	ST	Total
1	अजमेर	20	26	3	49	4.50	8.78	1.01	14.29
2	अलवर	42	43	19	104	9.45	14.51	6.41	30.37
3	बांसवाड़ा	2	0	3	5	0.45	0.00	1.01	1.46
4	बारां	39	20	33	92	8.77	6.75	11.13	26.65
5	बाड़मेर	297	216	130	643	66.82	72.90	43.87	183.59
6	भरतपुर	5	8	0	13	1.13	2.70	0.00	3.83
7	भीलवाड़ा	7	6	5	18	1.58	2.03	1.69	5.30
8	बीकानेर	100	157	0	257	22.50	52.98	0.00	75.48
9	बूंदी	9	6	8	23	2.03	2.03	2.70	6.76
10	सी.ए.डी कोटा	18	18	14	50	4.05	6.08	4.73	14.86
11	चित्तौड़गढ़	31	27	20	78	6.97	9.11	6.75	22.83
12	चुरू	34	50	0	84	7.65	16.87	0.00	24.52
13	ईगानप, बीकानेर	22	18	10	50	4.95	6.08	3.38	14.41
14	दौसा	6	5	4	15	1.35	1.69	1.35	4.39
15	धौलपुर	10	12	4	26	2.25	4.05	1.35	7.65
16	झुंजारपुर	1	0	1	2	0.23	0.00	0.34	0.57
17	हनुमानगढ़	7	12	0	19	1.58	4.05	0.00	5.63
18	जयपुर	163	270	74	507	36.67	91.12	24.98	152.77
19	जैसलमेर	165	175	70	410	37.12	59.06	23.62	119.80
20	जालौर	180	190	80	450	40.50	64.12	27.00	131.62
21	झालावाड़	125	100	88	313	28.12	33.75	29.70	91.57
22	झुंझुनूं	15	23	0	38	3.38	7.76	0.00	11.14
23	जोधपुर	290	400	35	725	65.25	135.00	11.81	212.06
24	करौली	2	2	2	6	0.45	0.68	0.68	1.81
25	कोटा	37	37	18	92	8.32	12.48	6.08	26.88
26	नागौर	152	228	0	380	34.20	76.95	0.00	111.15
27	पाली	75	80	32	187	16.87	27.00	10.80	54.67
28	प्रतापगढ़	28	5	38	71	6.30	1.69	12.83	20.82
29	राजसमंद	3	3	2	8	0.68	1.01	0.68	2.37
30	सवाई माधोपुर	20	15	15	50	4.50	5.06	5.06	14.62
31	सीकर	42	50	12	104	9.45	16.87	4.05	30.37
32	सिरोही	20	10	20	50	4.50	3.38	6.75	14.63
33	श्री गंगानगर	19	28	0	47	4.28	9.45	0.00	13.73
34	टोंक	8	7	4	19	1.80	2.36	1.35	5.51
35	उदयपुर	6	2	7	15	1.35	0.68	2.36	4.39
	Total	2000	2249	751	5000	450.00	759.03	253.47	1462.50